Pl. issue
Rajni
17/2

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, dated 17.02.2022**

The Pr. Chief Medical Directors,
All Indian Railways &

The Chief Medical Officers
Production Units.

Sub: Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals-Reg.
Ref: Railway Board's letter of even no. dated 22.11.2021.

Railway Board vide letter referred above has circulated a revised MoU to be entered into with the Private Empanelled Hospitals.

At point no. 16 of MoU there is a provision of Performance Bank Guarantee (PBG) that to be furnished by Health Care Organisations at the time or their empanelment with Railway. In reference to this para it is clarified that the term Health Care Organisations also includes Diagnostic Centres.

Further, para 1 of the point no. 11 in the revised MoU states "The hospital shall be expected to upload the bill, on the website, for a particular episode within 7 days of the discharge of the patient." This provision for uploading bill online may be ignored at present till Railway HMIS starts to function and online billing module is activated. Specific instructions in this regard will be issued once HMIS is in place and start working robustly.

(P. M. Meena / पी. एम. मीणा)
Joint Director/Health(संयुक्त निदेशक/ स्वास्थ्य)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
Tele.No.: 011-47854222

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
Railway Board
Issued
Enclosure
18/02/22

O/C

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 17.02.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
सभी भारतीय रेलें और

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्पादन इकाइयां।

विषय: पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के साथ किए जाने वाले संशोधित समझौता ज्ञापन।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.2021 का समसंख्यक पत्र ।

रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के साथ किए जाने वाले संशोधित समझौता ज्ञापन को परिपत्रित किया गया है।

समझौता ज्ञापन की मद सं.16 में निष्पादन बैंक गारंटी का प्रावधान है जो स्वास्थ्य देखरेख संगठनों द्वारा रेलवे के साथ उनके पैनलबद्ध के समय प्रस्तुत किया जाएगा। इस पैरा के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य देखरेख संगठनों में डायग्नोस्टिक केंद्र भी शामिल हैं।

इसके अलावा, संशोधित समझौता ज्ञापन की मद सं.11 के पैरा 1 में उल्लेख किया गया है कि अस्पताल को मरीज को डिस्चार्ज करने के 7 दिन के भीतर एक अवधि विशेष के लिए वेबसाइट पर बिल को अपलोड करना होगा। बिल को ऑनलाइन अपलोड करने के प्रावधान को फिलहाल रेलवे एचएमआईएस के शुरू होने और ऑनलाइन बिल मॉड्यूल के सक्रिय होने तक नजरअंदाज किया जाए। एचएमआईएस के भली-भांति शुरू होने के बाद इस संबंध में विशिष्ट अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(पी. एम. मीना)
संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
फोन नं.011-47854222